



Neutral Citation No. - 2026:AHC:7109

ए.एफ.आर.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 49947/2025

श्रीमती नीलम एवं अन्य

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षीगण

आवेदकगण के अधिवक्ता : अजीत कुमार श्रीवास्तव, अरविंद कुमार श्रीवास्तव, नीलम श्रीवास्तव, सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव

विपक्षीगण के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव, प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार मिश्रा राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद अफजल को सुना गया तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन आवेदकों द्वारा अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अधिनियम, संत कबीर नगर द्वारा ए.एस.टी. संख्या 0071/2018 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नीलम) में पारित आदेश दिनांक 13.10.2025 को चुनौती देते हुए दायर किया गया है, जो अभियुक्त आवेदकों द्वारा बी.ए.एस.एस की धारा 348 के तहत पीड़ित/पीडब्ल्यू-2/विपक्षी संख्या 3 को आगे की प्रति-परीक्षा के लिए वापस बुलाने की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत आवेदन पर पारित किया गया है।
3. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि सूचनाकर्ता/प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 15.12.2017 की घटना के संबंध में दिनांक 21.12.2017 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जो मुकदमा अपराध संख्या 1888/2017, धारा 363, 366, 120बी भारतीय दंड संहिता और धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम, थाना बखिरा, जनपद संत कबीर नगर के रूप में अंकित है। विवेचनाधिकारी ने उचित विवेचना के पश्चात इस मामले में दिनांक 27.01.2018 को धारा 363, 366, 120बी भारतीय दंड संहिता और धारा 16/17 पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप-पत्र प्रस्तुत किया और एक बार जब पीड़ित का बयान धारा 161 और 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज कर लिया गया, तो विचारण न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया और विचारण के दौरान आरोप विरचित किए गए। अभियुक्तों ने दोष स्वीकार नहीं किया और विचारण की मांग की।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. प्रथम सूचनाकर्ता की विचारण न्यायालय में पीडब्ल्यू-1 के रूप में परीक्षा की गई। तत्पश्चात पीड़ित की परीक्षा दिनांक 26.04.2019 को पीडब्ल्यू-2 के रूप में की गई, लेकिन समय की कमी के कारण उसकी जिरह दिनांक 10.05.2019 को जारी रही और उससे विस्तार से जिरह की गई। इसके बाद आवेदक नीलम ने धारा 348 बीएनएसएस के तहत एक आवेदन दिया और विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एडीजीसी) द्वारा दिनांक 04.10.2025 को इस पर आपत्ति दाखिल की गई। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुना गया और आक्षेपित आदेश दिनांक 16.10.2025 पारित किया गया, जिसके द्वारा आवेदक नीलम द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया।
5. मामले की उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, आवेदकों-अभियुक्तों द्वारा बीएनएसएस की धारा 528 के तहत वर्तमान आवेदन दिया गया है।
6. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदकों को पीड़ित की जिरह के लिए एक और अवसर दिया जाए और विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 16.10.2025 के आदेश के माध्यम से आवेदन को खारिज करने में घोर अवैधता की है। आक्षेपित आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित सिद्धांत के विरुद्ध है। अतः इस मामले में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
7. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के साथ-साथ प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदन का पुरजोर विरोध किया है और तर्क दिया है कि धारा 348 बीएनएसएस के तहत आवेदन केवल विचारण में देरी करने के इरादे से दिया गया था जो कि अस्वीकार्य है और मामले की परिस्थितियों में, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आवेदन को सही ढंग से खारिज किया गया है। गवाह को वापस बुलाने का आवेदन लगभग छह साल बाद दिया गया है और आवेदकों द्वारा देरी को उचित रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है। पीड़ित की परीक्षा 10.05.2019 को हुई थी और आवेदन वर्ष 2025 में दिया गया था। विचारण न्यायालय में तथ्यों के सभी गवाहों की परीक्षा हो चुकी है और पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 33(5) के अनुसार, बाल गवाह को न्यायालय में गवाही देने के लिए बार-बार नहीं बुलाया जाएगा।
8. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों के साथ-साथ स्वयं मामले में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 16.10.2025 का अवलोकन किया है।
9. धारा 311 दंड प्रक्रिया संहिता (समान धारा-348 बीएनएसएस) के तहत गवाहों को वापस बुलाने से संबंधित सिद्धांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मोहम्मद खालिद बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2002) 7 एससीसी 334; हनुमान प्रसाद (उपर्युक्त), नताशा सिंह बनाम सीबीआई, (2013) 5 एससीसी 741; (2013) 4 एससीसी (क्रिमिनल) 828; 2013 एससीसी ऑनलाइन एससी 444; राजाराम प्रसाद यादव बनाम बिहार राज्य और अन्य, एआईआर 2013 एससी 3081; राज्य (एनसीटी दिल्ली) बनाम शिव कुमार यादव, (2016) 2 एससीसी 402; हरियाणा राज्य बनाम राम मेहर और अन्य, (2016) 8 एससीसी 762; स्वपन कुमार चटर्जी बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, (2019) 14 एससीसी 328; वर्षा गर्ग बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 986 और इस न्यायालय द्वारा धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



तहत आवेदन संख्या **274/2022** (राम नायक सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) के मामलों में स्थापित किया गया है।

10. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला द्वारा यह सुस्थापित है कि धारा 311 दंड प्रक्रिया संहिता या धारा 348 बीएनएसएस, जैसा भी मामला हो, के तहत शक्ति का प्रयोग सावधानी, सतर्कता और सावधानी के साथ तथा केवल ठोस और वैध कारणों से किया जाना चाहिए। पहले से परीक्षित गवाह को वापस बुलाना एक सामान्य बात नहीं होनी चाहिए और इस संबंध में न्यायालय को दी गई विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग न्याय की विफलता को रोकने के लिए न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए। संपूर्ण रूप से इस प्रावधान का उद्देश्य न केवल अभियुक्त और अभियोजन के दृष्टिकोण से, बल्कि एक व्यवस्थित समाज के दृष्टिकोण से भी न्याय करना है।
11. न्यायालय इस स्थिति के प्रति पूरी तरह सचेत है कि अंततः विचारण मूल रूप से बंदियों/अभियुक्तों के लिए है और न्यायालय को उन्हें यथासंभव निष्पक्ष तरीके से अवसर प्रदान करना चाहिए। साथ ही, न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि निष्पक्ष विचारण में अभियुक्त, पीड़ित और समाज का हित शामिल है और इसलिए, संबंधित व्यक्तियों को निष्पक्ष और उचित अवसर प्रदान करना एक संवैधानिक लक्ष्य के साथ साथ एक मानवाधिकार होने के नाते सुनिश्चित किया जाना चाहिए। गवाहों को वापस बुलाने का आवेदन न्यायिक रूप से स्थापित और स्वीकृत सिद्धांतों के आधार पर लागू किया जाना चाहिए।
12. उपरोक्त टिप्पणियों को इस आधार पर निर्यात रूप से वापस बुलाने की अनुमति देने वाले किसी अनन्य नियम के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है कि पहले सही तथ्यों को अभिलेख पर नहीं लाया जा सका था। जबकि न्याय को अपने बढ़ाना कानून का प्राथमिक उद्देश्य बना हुआ है, इसे यह नहीं समझा जा सकता है कि केवल पूछने पर या केवल सुविधा से संबंधित कारणों से वापस बुलाने की अनुमति दी जा सकती है।
13. बीएनएसएस की धारा 520 के तहत क्षेत्राधिकार असाधारण है और इसका उपयोग केवल ऐसे मामलों में किया जा सकता है जहां घोर अन्याय हुआ हो या कानून की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग हुआ हो। इसका उपयोग ऐसे व्यक्ति की मदद के लिए नहीं किया जा सकता जो निष्पक्ष विचारण में सहयोग नहीं कर रहा है। ऐसी शक्ति का आह्वान उस गवाह को परेशान करने के लिए नहीं किया जा सकता जिसकी पहले ही परीक्षा हो चुकी है या विचारण में देरी करने के लिए नहीं किया जा सकता।
14. मोहम्मद खालिद बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2002) 7 एससीसी 334 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:-

"9. हम यह पूरी तरह स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई गवाह न्यायालय में उपस्थित है तो उसकी परीक्षा उसी दिन की जानी चाहिए। न्यायालय को यह जानना चाहिए कि अधिकांश गवाह अपने स्वयं के व्यवसाय को एक तरफ रखने के बाद, भारी कीमत पर ही न्यायालय में उपस्थित हो पाते हैं। निश्चित रूप से उन्हें कष्ट और आय की हानि उठानी पड़ती है। भत्ते (भत्ता) की वह मामूली राशि जो न्यायालय द्वारा एक गवाह को भुगतान की जा सकती है, आमतौर पर उसके द्वारा किए गए वित्तीय नुकसान के लिए एक बहुत कम सांत्वना है। विचारण न्यायालयों में यह एक दुखद स्थिति है कि जिन गवाहों को सम्मन या अन्य अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रक्रियाओं के माध्यम से बुलाया जाता है, वे सुबह से शाम तक दरवाजे पर खड़े रहते हैं, केवल दिन के अंत में उन्हें यह बताने के लिए कि मामला दूसरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस आदिम प्रथा में सुधार किया जाना चाहिए बशर्ते संबंधित पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता हो। उनकी न्यायिक शक्तियों के आयाम के कारण गवाहों के रूप में उनके द्वारा बुलाए गए अन्य व्यक्ति किस प्रकार परेशान होते हैं, यह देखने में कोई परपीड़क आनंद (सैडिस्टिक प्लेजर), इस तरह के स्थगन को उदारतापूर्वक, वह भी लापरवाही भरे तरीके से देने के लिए प्रेरक कारक नहीं हो सकता है।"

15. राज्य (एनसीटी दिल्ली) बनाम शिव कुमार यादव (2016) 2 एससीसी 402 के मामले में पारित निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे उद्धृत किए गए हैं:-

"10. इस बात से शायद ही इनकार किया जा सकता है कि निष्पक्ष विचारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी का एक हिस्सा है। इसकी विषय-वस्तु मुख्य रूप से विचारण के संचालन के लिए वैधानिक प्रावधानों से निर्धारित होनी चाहिए, हालांकि कुछ मामलों में जहां वैधानिक प्रावधान मौन हो सकते हैं, न्यायालय ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कानून का एक सिद्धांत विकसित कर सकता है जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है। यह भी सच है कि वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या के लिए निष्पक्ष विचारण के सिद्धांत को ध्यान में रखना होगा।

11. यह और भी सुस्थापित है कि विचारण की निष्पक्षता न केवल अभियुक्त के दृष्टिकोण से, बल्कि पीड़ित और समाज के दृष्टिकोण से भी देखी जाना चाहिए। निष्पक्ष विचारण के नाम पर व्यवस्था को बंधक नहीं बनाया जा सकता। अभियुक्त अपनी पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने, सभी प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने, अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह करने और अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का हकदार है। वापस बुलाने के प्रावधान का उद्देश्य किसी भी चरण में विचारण के संचालन में किसी भी अन्याय को रोकने के लिए न्यायालय के पास शक्ति सुरक्षित रखना है। अन्याय को रोकने के लिए न्यायालय के पास उपलब्ध शक्ति का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब न्यायालय को वैध कारणों से लगे कि किसी पक्ष के साथ अन्याय हुआ है। शक्ति का प्रयोग करने से पहले न्यायालय द्वारा कारणों के साथ ऐसा निष्कर्ष विशेष रूप से दर्ज किया जाना चाहिए। उन सटीक स्थितियों को निर्धारित करना संभव नहीं है जब ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। विधायिका ने अपनी दृष्टिकोण से इस शक्ति को अपरिभाषित छोड़ दिया है। इस प्रकार, शक्ति के दायरे पर मामले पर मामले विचार किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए मार्गदर्शन पक्षों द्वारा भरोसा किए गए कई निर्णयों में उपलब्ध है। इस मामले के लिए प्रासंगिक सिद्धांतों के लिए केवल कुछ निर्णयों का संदर्भ देना पर्याप्त होगा।

14. हॉफमैन एंड्रियास मामले [हॉफमैन एंड्रियास बनाम सीमा शुल्क निरीक्षक, (2000) 10 एससीसी 430 : 2001 एससीसी (क्रिमिनल) 1488] में, जो अधिवक्ता मामला चला रहे थे, वे बीमार थे और विचारण के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। नए अधिवक्ता ने इस आधार पर वापस बुलाने की मांग की कि अधिवक्ता की बीमारी के कारण गवाहों से जिरह नहीं की जा सकी। इस प्रार्थना को विशिष्ट परिस्थितियों में इस टिप्पणी के साथ स्वीकार किया गया कि सामान्यतः बंद विचारण को फिर से नहीं खोला जा सकता है

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



लेकिन अधिवक्ता की बीमारी और मृत्यु को तथ्यों और परिस्थितियों में गवाहों को वापस बुलाने के लिए एक वैध आधार माना गया। यह देखा गया: (एससीसी पृष्ठ 432, पैरा 6)

"6. सामान्यतः, इस विलंब के चरण में, हम एक बार फिर से बंद विचारण को खोलने के लिए अनिच्छुक होंगे। लेकिन हमें इस मामले में विचारण के दौरान हुए दुर्भाग्यपूर्ण विकास यानी विचारण के बीच में बचाव पक्ष के अधिवक्ता के निधन के कारण इस पर विचार करने के लिए राजी किया गया है। अपीलकर्ता के बचाव के लिए जो अधिवक्ता नियुक्त किए गए थे, उन्होंने गवाहों से जिरह की थी, लेकिन अपनी मृत्यु के कारण वे विचारण पूरा नहीं कर सके। जब नए अधिवक्ता ने मामला हाथ में लिया, तो वे निश्चित रूप से इस नुकसान में होंगे कि वे पूर्व अधिवक्ता से बचाव की रणनीति की योजना के बारे में पता नहीं लगा सकते थे जो दिवंगत अधिवक्ता के मन में थी या उन्होंने कुछ पहलुओं पर भाग सवाल क्यों नहीं पूछे थे। ऐसी परिस्थितियों में, यदि नए अधिवक्ता ने मुख्य गवाहों की आगे परीक्षा कराने का विचार किया, तो न्यायालय न्याय के हित में एक उदार दृष्टिकोण अपना सकता है। विशेष रूप से तब जब न्यायालय के पास संहिता की धारा 311 में निहित मामले में बेलगाम शक्तियाँ हैं। आखिरकार विचारण मूल रूप से बंदियों के लिए है और न्यायालयों को उन्हें यथासंभव निष्पक्ष तरीके से अवसर प्रदान करना चाहिए।"

15. उपरोक्त टिप्पणियों को इस आधार पर नियमित रूप से वापस बुलाने की अनुमति देने वाले किसी अनन्य नियम के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है कि अधिवक्ता के कारणों से जिरह उचित नहीं थी। जबकि न्याय को आगे बढ़ाना कानून का प्राथमिक उद्देश्य बना हुआ है, इसे यह नहीं समझा जा सकता है कि केवल पूछने पर या केवल सुविधा से संबंधित कारणों से वापस बुलाने की अनुमति दी जा सकती है। सामान्यतः यह माना जाना चाहिए कि किसी मामले का संचालन करने वाला अधिवक्ता सक्षम है। विशेष रूप से तब जब अधिवक्ता की नियुक्ति वादी की पसंद से की जाती है। इसके तार्किक अंत तक ले जाने पर, यह सिद्धांत कि अधिवक्ता के प्रत्येक परिवर्तन पर पुनः विचारण होना चाहिए, विचारणों के संचालन और आपराधिक न्याय प्रणाली पर गंभीर परिणाम डाल सकता है। गवाहों से बार-बार न्यायालय में उपस्थित होने की कठिनाई का सामना करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती, विशेष रूप से वर्तमान जैसे संवेदनशील मामलों में। पीड़ितों के लिए, विशेष रूप से जघन्य अपराधों के पीड़ितों के लिए, यह अत्यधिक कष्टकारी हो सकता है यदि उन्हें जिरह का सामना करने के लिए बार-बार न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता हो।

16. यदि विचारण का संचालन करने वाला अधिवक्ता किसी अक्षमता के कारण शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो न्याय का हित प्रभावित हो सकता है। समाज का हित सर्वोपरि है और अधिवक्ता की अस्वस्थता के कारण विचारणों को फिर से संचालित करने के बजाय, सुधार आवश्यक प्रतीत हो सकते हैं ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। शायद अब अधिवक्ता अधिनियम और प्रासंगिक नियमों की समीक्षा करने का समय आ गया है ताकि वृद्धावस्था या अन्य मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण आपराधिक विचारण संचालित करने के लिए एक अधिवक्ता की निरंतर उपयुक्तता की जांच की जा सके, जिससे इस शिकायत से बचा जा सके कि विचारण संचालित करने वाला अधिवक्ता अनुपयुक्त या अक्षम था। यह एक ऐसा पहलू है जिस

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



पर विधि आयोग और बार काउंसिल ऑफ इंडिया सहित संबंधित अधिकारियों द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है।

27. उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का अनुमोदन करना कठिन है। निस्संदेह, निष्पक्ष विचारण ही उद्देश्य है और ऐसी निष्पक्षता सुनिश्चित करना न्यायालय का कर्तव्य है। धारा 311 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शक्ति की व्यापकता किसी भी संदेह से परे है। उच्च न्यायालय द्वारा एक भी विशिष्ट कारण नहीं बताया गया है कि वर्तमान मामले में 13 गवाहों को वापस बुलाना कैसे आवश्यक था, जैसा कि आक्षेपित आदेश में निर्देशित किया गया है। विचारण न्यायालय के आदेश के तर्क में कोई दोष नहीं पाया गया है। उच्च न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर उन केवल दो कारणों को खारिज कर दिया जो उसके समक्ष रखे गए थे कि विचारण जल्दबाजी में किया गया था और अधिवक्ता सक्षम नहीं थे। इन आधारों को खारिज करने के बावजूद, गवाहों की कठिनाई, विचारण में अनुचित देरी पर विचार किए दिए गए और बिना किसी अन्य ठोस कारण के, केवल इस टिप्पणी पर वापस बुलाने की अनुमति देना कि देरी से केवल अभियुक्त को ही नुकसान होगा क्योंकि वह हिरासत में था, परिस्थितियों में, शायद ही वैध या न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने वाला माना जा सकता है। यह केवल देरी का मामला नहीं है बल्कि वापस बुलाए जाने वाले गवाहों के उत्पीड़न का भी मामला है जिसे इस आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता कि अभियुक्त हिरासत में था और कार्यवाही को लंबा खींचने से केवल उसे ही नुकसान होगा। निश्चित रूप से न्यायोचित निर्णय के लिए आवश्यक होने पर वापस बुलाने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन ऐसे विचारों पर नहीं जिन्हें वर्तमान मामले में अपनाया गया है। केवल यह टिप्पणी कि निष्पक्ष विचारण सुनिश्चित करने के लिए वापस बुलाना आवश्यक था पर्याप्त नहीं है जब तक कि यह दिखाने के लिए ठोस कारण न हों कि वापस बुलाए बिना निष्पक्ष विचारण कैसे प्रभावित हुआ। वापस बुलाना कोई सामान्य बात नहीं है और न्यायालय को दी गई विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग न्याय की विफलता को रोकने के लिए न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए न कि मननाने ढंग से। हालांकि पक्षकार को अपनी सद्भावपूर्ण त्रुटि को सुधारने की अनुमति भी दी जाती है और वह आगे के अवसर का हकदार हो सकता है, भले ही ऐसा अवसर विपक्षी दल की ओर से बिना किसी दोष के मांगा जाए, लेकिन न्याय को आगे बढ़ाने के लिए वापस बुलाने की याचिका सद्भावपूर्ण होनी चाहिए और गवाहों को होने वाली अवांछित कठिनाई और विचारण में अवांछित देरी सहित अन्य प्रासंगिक विचारों के साथ सावधानीपूर्वक संतुलित होनी चाहिए। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए, हमें पहले से परीक्षित गवाहों को वापस बुलाने का कोई आधार नहीं मिलता है।

28. यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा कि संविधान के अनुच्छेद 227 और धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायिक अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए जब किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में प्रत्यक्ष त्रुटि या घोर अन्याय हो [जसबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2006) 8 एससीसी 294 : (2006) 3 एससीसी (क्रिमिनल) 470, पैराग्राफ 10 से 14]। इस आशय के निष्कर्ष को कारणों द्वारा समर्थित होना चाहिए। वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में कोई

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



त्रुटि न पाते हुए भी, केवल यह कहकर अभियुक्त की प्रार्थना स्वीकार कर ली है कि अभियुक्त को निष्पक्ष और उचित अवसर देने के लिए शक्ति का प्रयोग आवश्यक था। इस टिप्पणी के समर्थन में कोई कारण दर्ज नहीं किए गए हैं। इसके विपरीत, अभियुक्त के रुख को खारिज करने वाले विचारण न्यायालय के दृष्टिकोण की पुष्टि की गई है। इस प्रकार, निष्कर्ष आक्षेपित आदेश के कारणों के साथ असंगत प्रतीत होता है।

29. अब हम वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को अस्वीकार करने के अपने कारणों का सारांश दे सकते हैं:

- (i) विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने यह माना कि अभियुक्त ने अपनी पसंद का अधिवक्ता नियुक्त किया था। वह अन्य मामलों में भी विचारण का सामना कर रहा था। पूर्ववर्ती अधिवक्ता को उचित अवसर दिया गया था और उन्होंने विधिवत जिरह की थी। वे किसी भी बाधा के अधीन नहीं थे;
- (ii) ऐसा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जा सका कि अभियुक्त द्वारा नियुक्त अधिवक्ता अक्षम थे, विशेष रूप से ऐसे अधिवक्ताओं की पीठ पीछे;
- (iii) जैसा कि वर्तमान मामले में कथित है, जघन्य अपराध में त्वरित विचारण न्याय के हित में है;
- (iv) विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने गवाहों को वापस बुलाने के कारणों को खारिज कर दिया;
- (v) न्यायालय को न केवल अभियुक्त को निष्पक्ष अवसर देने की आवश्यकता को ध्यान में रखना है, बल्कि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखना है कि अपराध के पीड़ित को अनुचित रूप से परेशान न किया जाए;
- (vi) केवल यह तथ्य कि अभियुक्त हिरासत में था और वह देरी से पीड़ित होगा, गवाहों को वापस बुलाने की अनुमति देने के लिए कोई विचार नहीं हो सकता है, विशेष रूप से विचारण के अंतिम चरण में;
- (vii) केवल अधिवक्ता का परिवर्तन गवाहों को वापस बुलाने का आधार नहीं हो सकता है;
- (viii) यह मानने का कोई आधार नहीं है कि जब तक गवाहों को वापस नहीं बुलाया जाता तब तक अभियुक्त के साथ कोई प्रतिकूलता होगी;
- (ix) उच्च न्यायालय ने न तो विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों को खारिज किया है और न ही गवाहों को वापस बुलाने की अनुमति देने के लिए कोई औचित्य दिया है, सिवाय इसके कि सामान्य टिप्पणी की गई है कि निष्पक्ष विचारण सुनिश्चित करने के लिए वापस बुलाना आवश्यक था। यह टिप्पणी उच्च न्यायालय के उन कारणों के विपरीत है जो वापस बुलाने के आधारों यानी पूर्व अधिवक्ता की अक्षमता के कारण या त्वरित कार्यवाही के कारण निष्पक्ष अवसर से वंचित करने से संबंधित हैं;
- (x) वापस बुलाने की प्रार्थना को खारिज करने वाले विचारण न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में न तो कोई प्रत्यक्ष त्रुटि है और न ही ऐसी प्रार्थना स्वीकार न किए जाने पर कोई स्पष्ट अन्याय है।"

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



16. स्वपन कुमार चटर्जी (उपर्युक्त) के मामले में, सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई थी और उसे रिपोर्ट के पैराग्राफ 11 और 12 से निकाला जा सकता है, जो इस प्रकार हैं:-

"11. यह सुस्थापित है कि धारा 311 के तहत प्रदत्त शक्ति का आह्वान न्यायालय द्वारा केवल न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए। शक्ति का प्रयोग केवल ठोस और वैध कारणों के लिए किया जाना चाहिए और इसका प्रयोग बड़ी सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए। न्यायालय के पास इस धारा के तहत न्याय के हित में आवश्यक होने पर पुनः परीक्षा या आगे की परीक्षा के लिए गवाहों को वापस बुलाने की भी व्यापक शक्ति है, लेकिन इसका प्रयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखने के बाद किया जाना चाहिए। इस प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा यदि न्यायालय की राय है कि आवेदन कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के रूप में दायर किया गया है।

12. जहाँ अभियोजन साक्ष्य बहुत पहले बंद हो चुका है और गवाह की पहले परीक्षा न होने के कारण संतोषजनक नहीं हैं, वहाँ विलंब के चरण में गवाह को बुलाने से अभियुक्त को बहुत प्रतिकूलता होगी और इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसी तरह, न्यायालय को इस प्रावधान के तहत गवाह को वापस बुलाने के लिए क्रमिक आवेदन दाखिल करने को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए।"

17. धारा 348 बीएनएसएस के तहत मुख्य गवाहों को बुलाने की शक्ति, जो अध्याय XXVI के अंतर्गत आती है जिसमें जाँच और विचारण के सामान्य प्रावधान शामिल हैं, को गवाहों को बुलाने के लिए न्यायालयों को बहुत व्यापक शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है और तदनुसार प्रदत्त विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि जितनी व्यापक शक्ति होगी, न्यायिक मस्तिष्क के प्रयोग की उतनी ही अधिक आवश्यकता होगी।

18. प्रदत्त शक्ति को विवेकाधीन माना गया है और यह न्यायालय को सभी प्रासंगिक तथ्यों की खोज करने और मामले में न्यायोचित निर्णय पर पहुँचने के लिए उचित प्रमाण प्राप्त करने के बाद सच्चाई का निर्धारण करने में सक्षम बनाने के लिए है। धारा 348 बीएनएसएस के तहत प्रदत्त शक्ति का आह्वान न्यायालय द्वारा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, ठोस और वैध कारणों से किया जाना चाहिए और इसका प्रयोग बड़ी सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए। इस संबंध में निर्णायक कारक यह होगा कि क्या गवाह को बुलाना या वापस बुलाना वास्तव में मामले के न्यायोचित निर्णय के लिए आवश्यक है, यह ध्यान में रखते हुए कि निष्पक्ष विचारण - जिसमें अभियुक्त, पीड़ित और समाज के हित शामिल हैं - आपराधिक प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है और न्यायालय को यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी निष्पक्षता किसी भी तरह से बाधित या खतरे में न पड़े।

19. राज्य (एनसीटी दिल्ली) बनाम शिव कुमार यादव: (2016) 2 एससीसी 402 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि: -

"निश्चित रूप से, न्यायोचित निर्णय के लिए आवश्यक होने पर वापस बुलाने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन ऐसे विचार पर नहीं जैसा कि वर्तमान मामले में अपनाया गया है। केवल यह टिप्पणी कि

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



निष्पक्ष विचारण सुनिश्चित करने के लिए' वापस बुलाना आवश्यक था, पर्याप्त नहीं है जब तक कि यह दिखाने के लिए ठोस कारण न हों कि वापस बुलाए बिना निष्पक्ष विचारण कैसे प्रभावित हुआ। वापस बुलाना कोई सामान्य बात नहीं है और न्यायालय को दी गई विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग न्याय की विफलता को रोकने के लिए न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए न कि मनमाने ढंग से। हालांकि पक्षकार को अपनी सद्भावपूर्ण त्रुटि को सुधारने की अनुमति भी दी जाती है और वह आगे के अवसर का हकदार हो सकता है, भले ही ऐसा अवसर विपक्षी दल की ओर से बिना किसी दोष के मांगा जाए, लेकिन न्याय को आगे बढ़ाने के लिए वापस बुलाने की याचिका सद्भावपूर्ण होनी चाहिए और गवाहों को होने वाली अवांछित कठिनाई और विचारण में अवांछित देरी सहित अन्य प्रासंगिक विचारों के साथ सावधानीपूर्वक संतुलित होनी चाहिए। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए, पहले से परीक्षित गवाहों को वापस बुलाने का औचित्य साबित करने का कोई आधार नहीं है।"

20. रतनलाल बनाम प्रहलाद जाट, (2017) 9 एससीसी 340 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि:

"17. न्यायालय को सच्चाई का पता लगाने और न्यायोचित निर्णय देने में सक्षम बनाने के लिए, धारा 311 के हितकारी प्रावधान अधिनियमित किए गए हैं जिसके तहत कोई भी न्यायालय जाँच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में अपने विवेकाधीन अधिकार का प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुला सकता है या उपस्थित किसी भी व्यक्ति को परीक्षा कर सकता है, भले ही उसे गवाह के रूप में न बुलाया गया हो, या पहले से परीक्षित किसी भी व्यक्ति को वापस बुला सकता है या पुनः परीक्षित कर सकता है जिनसे विवादित मामले पर प्रकाश डालने की उम्मीद की जाती है। संपूर्ण रूप से इस प्रावधान का उद्देश्य न केवल अभियुक्त और अभियोजन के दृष्टिकोण से, बल्कि एक व्यवस्थित समाज के दृष्टिकोण से भी न्याय करना है। इस शक्ति का प्रयोग केवल ठोस और वैध कारणों के लिए किया जाना चाहिए और इसका प्रयोग सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए। वापस बुलाना कोई सामान्य बात नहीं है और न्यायालय को दी गई विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग न्याय की विफलता को रोकने के लिए न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए। इसलिए, इस शक्ति का प्रयोग करने के कारणों को आदेश में स्पष्ट किया जाना चाहिए।"

21. मिश्रीलाल और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य (2005) 10 एससीसी 701 के मामले में, कमोबेश समान तथ्यों वाले मामले से निपटते समय माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:-

"हमारी राय में, सत्र न्यायाधीश द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पूरी तरह से कानून के अनुरूप नहीं थी। एक बार जब गवाह की मुख्य परीक्षा और पूर्ण जिरह हो जाती है, तो ऐसे गवाह को न्यायालय के समक्ष पहले से दिए गए साक्ष्य को नकारने के लिए वापस नहीं बुलाया जाना चाहिए और न ही उसकी पुनः परीक्षा की जानी चाहिए, भले ही उस गवाह ने बाद में किसी अन्य न्यायालय या मंच के समक्ष असंगत बयान दिया हो। एक गवाह का सामना केवल उसके द्वारा दिए गए पिछले बयान से ही कराया जा सकता है। 6.2.1991 को पीडब्ल्यू 2 मोकम सिंह की परीक्षा के समय, ऐसा कोई पिछला बयान नहीं था और बचाव

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



पक्ष के अधिवक्ता ने उसका सामना पहले दिए गए किसी कथित बयान से नहीं कराया। इस गवाह ने बाहरी कारणों से किशोर न्यायालय के समक्ष कोई अन्य विवरण दिया होगा और उसे बाद के चरण में शपथ के तहत दिए गए साक्ष्य को पूरी तरह से मिटाने का और अवसर नहीं दिया जाना चाहिए था। न्यायालयों को प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करना होगा और किसी गवाह को केवल इस स्पष्टीकरण पर कि उसने पुलिस के दबाव या किसी अन्य कारण से गलत गवाही दी थी, न्यायालय के समक्ष झूठी गवाही देने के लिए कानूनी कार्रवाई से बचने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जब भी कोई गवाह न्यायालय में झूठ बोलता है, और यह संतोषजनक रूप से सिद्ध हो जाता है, तो न्यायालय को ऐसे गवाहों के विरुद्ध गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए।”

22. याकूब इस्माइलभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य-एआईआर **2004 एससी 4209** के मामले में, पैराग्राफ 40 और 41 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:-

“40. महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गवाह ने बाद में एक हलफनामा दायर किया जिसमें उसने इस तथ्य की शपथ ली थी कि उसने पीडब्ल्यू-1 के रूप में न्यायालय के समक्ष जो कुछ भी गवाही दी थी वह सच नहीं थी और ऐसा पुलिस के कहने पर किया गया था।

41. हलफनामों में किए गए कथनों को उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया है। एक बार जब गवाह की परीक्षा अभियोजन गवाह के रूप में हो जाती है, तो उसे शपथ पर न्यायालय में दी गई गवाही से मुकरकर झूठी गवाही देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह ध्यान देने योग्य है कि पीडब्ल्यू-1 के रूप में साक्ष्य देने और बाद में न्यायालय में हलफनामा दायर करने के बीच की अवधि के दौरान वह एक मादक पदार्थ के मामले में जेल में था और अभियुक्त व्यक्ति भी वहां उसके साथी कैदी थे।”

23. निसार खान उर्फ गुड्डू और अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य **(2006) 9 एससीसी 386** के मामले में जहाँ अभियुक्त की ओर से धारा 311 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एक आवेदन दायर किया गया था और गवाह को वापस बुलाया गया था। इस तथ्य के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

“हमारी राय है कि कानून में उचित रूप से प्रशिक्षित कोई भी तर्कसंगत व्यक्ति एक वर्ष से अधिक के अंतर्गल के बाद प्रत्यक्षदर्शियों को वापस बुलाने के लिए अभियुक्त द्वारा दायर आवेदन की अनुमति नहीं देगा, वह भी तब जब गवाहों की परीक्षा, जिरह हो चुकी हो और उन्हें मुक्त कर दिया गया हो।”

24. यहाँ यह बताना महत्वपूर्ण है कि पाँक्सो अधिनियम एक विशेष कानून है, जिसे बच्चों को यौन अपराधों से बचाने और अधिनियम के तहत अपराधों के विचारण के हर चरण में बच्चे के हितों की रक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। पाँक्सो अधिनियम की धारा 33 विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियों का प्रावधान करती है और इस प्रकार है:

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



"33. विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियाँ। - (1) एक विशेष न्यायालय, अभियुक्त को विचारण के लिए सुपुर्द किए बिना, ऐसे अपराध का गठन करने वाले तथ्यों की शिकायत प्राप्त होने पर, या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर, किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकता है।

(2) विशेष लोक अभियोजक, या जैसा भी मामला हो, अभियुक्त के लिए उपस्थित होने वाला अधिवक्ता, बच्चे की मुख्य परीक्षा, जिरह या पुनः परीक्षा दर्ज करते समय, बच्चे से पूछे जाने वाले प्रश्नों को विशेष न्यायालय को सूचित करेगा, जो बदले में उन प्रश्नों को बच्चे से पूछेगा।"

(3) विशेष न्यायालय, यदि वह आवश्यक समझे, विचारण के दौरान बच्चे को बार-बार विराम (ब्रेक) देने की अनुमति दे सकता है।

(4) विशेष न्यायालय परिवार के किसी सदस्य, अभिभावक, मित्र या रिश्तेदार, जिस पर बच्चा विश्वास या भरोसा करता है, को न्यायालय में उपस्थित रहने की अनुमति देकर बाल-अनुकूल वातावरण तैयार करेगा।

(5) विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चे को न्यायालय में गवाही देने के लिए बार-बार न बुलाया जाए।

(6) विशेष न्यायालय बच्चे से आक्रामक पूछताछ या उसके चरित्र हनन की अनुमति नहीं देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि विचारण के दौरान हर समय बच्चे की गारंटी बनी रहे।

(7) विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि अन्वेषण या विचारण के दौरान किसी भी समय बच्चे की पहचान उजागर न हो..."

25. अधिनियम की धारा 33(5) के आवेदन के मात्र से संकेत मिलता है कि विशेष न्यायालय पर यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वह सुनिश्चित करे कि बच्चे को न्यायालय के समक्ष अपनी गवाही देने के लिए बार-बार न बुलाया जाए। इस प्रावधान के पीछे विधायी मंशा स्पष्ट है। यह सुनिश्चित करना है कि जिस बच्चे ने यौन हमले के दर्दनाक अनुभव को सहा है, उसे उसी घटना के बारे में गवाही देने के लिए बार-बार न बुलाया जाए।

26. माननीय उच्चतम न्यायालय ने माधव चंद्र प्रधान और अन्य बनाम ओडिशा राज्य, मान/एएस/1494/2024 में रिपोर्ट किए गए एक हालिया निर्णय में यह निर्धारित किया है कि एक बार गवाह, जिसकी पहले ही विस्तार से परीक्षा और जिरह हो चुकी है, उसे न्यायालय में फिर से गवाही देने के लिए वापस नहीं बुलाया जा सकता है। इस तरह के आवेदन को यांत्रिक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से पाँक्सो अधिनियम के तहत अपराधों के विचारण में। वर्तमान मामले के तथ्य माधव चंद्र प्रधान (उपर्युक्त) मामले के तथ्यों के समान हैं। इसलिए, उपर्युक्त निर्णय के आलोक में धारा 348 बीएनएसएस के तहत दिया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

27. उपरोक्त वाद विधियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि एक गवाह जिसकी पहले ही परीक्षा और जिरह हो चुकी है, उसे विचारण न्यायालय के समक्ष पहले से दिए गए साक्ष्य को नकारने के लिए वापस नहीं बुलाया जा सकता है और न ही उसकी पुनः परीक्षा की जा सकती है तथा उसे बाद के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



चरण में शपथ के तहत दिए गए साक्ष्य को पूरी तरह से मिटाने का कोई अवसर नहीं दिया जा सकता है।

28. उपरोक्त तथ्यों और इस विषय पर स्थापित कानून पर विचार करने के बाद, यह न्यायालय 16.10.2025 के आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं पाता है। इसका कारण यह है कि इस न्यायालय की दृष्टि में आवेदकों द्वारा धारा 348 बीएनएसएस के तहत आवेदन या तो विचारण में देरी करने के लिए या पीड़ित को अपने पक्ष में करने (विन-ओवर) के लिए दिया गया था, जिसकी पहले ही विस्तार से परीक्षा और जिरह हो चुकी है। धारा 348 बीएनएसएस के तहत आवेदन एक सद्भावपूर्ण आवेदन नहीं था और पीड़ित की जिरह की तारीख से छह साल बाद दायर किया गया था। इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 16.10.2025 के आदेश के माध्यम से वापस बुलाने के आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया गया था। विद्वान विचारण न्यायालय ने आवेदक के आवेदन को खारिज करने में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं की है।
29. बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन गुणदोष विहीन है और तदनुसार खारिज किया जाता है।
30. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।
31. महानिबंधक (अनुपालन) को निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित जिला न्यायाधीश के माध्यम से इस आदेश को तीव्रतम माध्यम से विचारण न्यायालय को प्रेषित करें।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

12 जनवरी, 2026

नितेंद्र

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"